

ओमैक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप
ओमैक्स इटरनिटी वृंदावन में
दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु
किफायती

आवासीय योजना

नंद एवं **बृज**
(ई. डब्ल्यू. एस.) (एल. आई. जी.)



वास्तुविद् परिकल्पना का चित्र

पंजीकरण पुस्तिका



PAN INDIA PRESENCE


8 STATES AND 27 CITIES

PUNJAB

- ✓ Amritsar ✓ Derabassi
- ✓ Ludhiana ✓ Bathinda
- ✓ Patiala ✓ Rajpura
- ✓ New Chandigarh

RAJASTHAN

- ✓ Jaipur ✓ Bhiwadi



HIMACHAL PRADESH

- ✓ Baddi

UTTARAKHAND

- ✓ Rudrapur

DELHI

HARYANA

- ✓ Rohtak ✓ Sonapat
- ✓ Faridabad ✓ Gurgaon
- ✓ Bahadurgarh ✓ Palwal
- ✓ Yamuna Nagar

MADHYA PRADESH

- ✓ Indore

UTTAR PRADESH

- ✓ Noida ✓ Greater Noida ✓ Agra
- ✓ Lucknow ✓ Vrindavan ✓ Allahabad
- ✓ Ghaziabad

विवरण पुस्तिका

1. योजना का विवरण

प्रस्तावित योजना - ओमैक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप, ओमैक्स इटरनिटी, वृंदावन

विकासकर्ता कम्पनी - ओमैक्स लिमिटेड

2. भवनों के नाम

नंद - ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)

वृज - एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)

3. एप्लीकरण हेतु मातृता

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास वृन्दावन, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद्, इम्पूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक को नंद, ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) अथवा वृज, एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) श्रेणी हेतु निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय क्रमशः रु 1,00,000/- से रु 3,00,000/- (ई.डब्लू.एस.) व रु 3,00,000/- से रु 6,00,000/- (एल.आई.जी.) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)।
- आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करना होगा।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. भवनों का विवरण

S.NO.	CATEGORY	HOME AREA (IN SQ.MT)	CARPET AREA (IN SQ.FT)	TYPE OF ACCOMMODATION	BASIC SALE PRICE (IN RS.)
1	EWS	370 sqft. (34.4 sq.mt.)	223 sqft.	1 ROOM, TOILET, KITCHEN & BATHROOM	GF - RS.4.25 Lakh FF - RS.3.70 Lakh SF - RS.3.25 Lakh TF - RS.3.00 Lakh
2	LIG	575 sqft. (53.4 sq.mt.)	438 sqft.	1 ROOM, DRAWING, DINING, KITCHEN & BATHROOM	GF - RS.11.50 Lakh FF - RS.11.00 Lakh SF - RS.10.25 Lakh TF - RS.9.75 Lakh

नोट :

1. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 8 से 9 पर उपस्थित मानचित्रों के साथ दी गयी है।
2. उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
3. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स GST आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
4. आवंटन के पश्चात वांछित धनराशि एवं किरते निर्धारित अवधि में जमा न करने पर 9% वार्षिक ब्याज देय होगा।
5. विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।
6. प्रस्तावित नंद, ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों का 34.40 वर्ग मीटर निर्धारित क्षेत्रफल है, भवन में एक लिविंग/बेडरूम हेतु कक्ष, टॉयलेट व किचन स्पेस है तथा वृज, एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों का 53.40 वर्ग मीटर निर्धारित क्षेत्रफल है, व भवन में एक लिविंग रुम, एक बेडरूम, टॉयलेट व किचन स्पेस है।
7. विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।
8. भविष्य में हड़को/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट के मानक पुनरिक्षित करने पर यथावत् लागू होंगे।

8. आवंटी/आवेदन की मृत्यु की वशा में

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

9. आरक्षण

6.1 शासनादेश के अनुसार नंद (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा बृज (एल.आई.जी.) श्रेणी में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)	03 हॉरिजोन्टल

6.2 प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणापत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।

6.3 नंद (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा बृज (एल.आई.जी.) हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्न है। सभी भवन सामान्य श्रेणी के होंगे।

6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा।

6.5 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

6.6 आरक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

6.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

6.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6.10 बिन्दु 6.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

6.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

6.12 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जाएंगे।

6.13 प्रधानमन्त्री आवास योजना के दिशा निर्देश/नियम शर्तें भी यदि इस योजना पर लागू होती है तो उनका भी समायोजन इस योजना पर प्रभावी होगा।

7. आवंटन

- 7.1 भवनों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।
- 7.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाइट www.omaxe.com पर उपलब्ध होगा।
- 7.3 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।
- 7.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।
- 7.5 आवंटनी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन-पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जात है तो वह पत्र आवंटनी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 7.6 यदि आवंटनी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटनी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।
- 7.7 भवनों का आवंटन "लीज-होल्ड" के आधार पर किया जायगा, जिसके विक्रय हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो बाद में हो, तक प्रतिबन्ध रहेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात् लामार्थी के पक्ष में फ्री-होल्ड किया जा सकेगा।

8. मंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

- 8.1 असफल आवेदकों का आवंटन न होने की दशा में 60 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 8.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात् आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जो कि तत्समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।

9. तथ्यों का छिपाया

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटनी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ले। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

10. फ्री-होल्ड शुल्क

विकासकर्ता कम्पनी द्वारा यथासमय आवंटित भवन की भूमि का फ्री-होल्ड के रूप में भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत शुल्क लेकर भवन का आवंटन लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड किया जा सकेगा।

11. फ्लैट्स का कब्जा :

- 11.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटनी को फ्लैट का कब्जा दिनांक _____ को दिया जायेगा।
- 11.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटनी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 11.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटनी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम् तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 11.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय दैविक आपदा, एवं ऐसी समकत परिस्थितियों जो कि विकासकर्ता के उचित नियंत्रण के परे हों, आदि अपरिहार्य स्थिति में बढ़ सकता है।

11.5(a) आवंटन तिथि से 3 वर्ष के भीतर भवन पूर्ण कर पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को भवन का भौतिक कब्जा प्रदान किया जाएगा।

11.5(b) आवंटन तिथि से 3 वर्ष में भवन का निर्माण न होने पर अर्थात डिफाल्ट की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि का 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगी।

11.5(c) आवंटन के पश्चात वांछित/देय धनराशि एवं किरतें निर्धारित अवधि में आवंटी द्वारा जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा।

11.6 यदि आवंटी द्वारा अनुबन्ध निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है और समय से धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है अथवा किसी कारणवश आवंटी द्वारा धनराशि वापस करने का आवेदन दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त जमा धनराशि वापस की जायेगी।

12. शुल्क/कर आदि की देयता :

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

13. अन्य सामान्य नियम व शर्तें :

13.1 आवंटन के पश्चात् मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

13.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

13.3 किसी भी प्रकार के वादों का क्षेत्राधिकार मथुरा स्थित न्यायालयों को होगा।

14. पंजीकरण प्रक्रिया :

14.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू 50.00 (वैट सहित) नगद भुगतान पर कार्य दिवसों में निर्दिष्ट ऐक्सिस बैंक शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

14.2 पंजीकरण प्रपत्र ओमैक्स लिमिटेड की वेबसाइट www.omaxe.com से डाउनलोड करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं, ऐसे आवेदन पत्रों पर पंजीकरण धनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र हेतु रू 50.00 (वैट सहित) का अलग से भुगतान करना होगा।

14.3 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक _____ 2017 से _____ 2017 तक किसी भी कार्य दिवस में निर्दिष्ट ऐक्सिस बैंक शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

15. विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरे।

15.1 पंजीकरण धनराशि का ड्राफ्ट/पे-आर्डर, ओमैक्स लिमिटेड, वृंदावन के पक्ष में देय होगा।

15.2 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप का रू 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

15.3 पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र बैंको को निर्दिष्ट शाखा में अंतिम तिथि से पूर्व कार्य दिवसों में जमा किये जा सकते हैं।

15.4 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन के अनुसार होगी।

16. पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक : जहाँ पंजीकरण काम प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।

1. ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, जगत गुरु कृपाल जी हॉस्पिटल के सामने, छतीकारा रोड़, वृंदावन, मथुरा 281121

17. आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुरोध :

- 17.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 17.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।
- 17.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।
- 17.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदको का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पता दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 17.5 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी एवं एक सप्ताह के उपरान्त वेबसाइट से आप स्वयं भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।

18. THE APPLICANT SHALL PAY THE PRICE OF THE SAID EWS / LIG APARTMENT IN THE FOLLOWING WAY:

At The Time Of Booking	:	EWS - Rs.15,000/- LIG - RS. 25,000/-
Within 15 Days of Allotment	:	10% of BSP (Less Booking Amount)
Within Next 45 Days of Allotment	:	10% of BSP
Within Next 90 Days of Allotment	:	10% of BSP
On Start of Excavation	:	10% of BSP
On Casting of Ground Floor Roof Slab	:	10% of BSP
On Casting of First Floor Roof Slab	:	10% of BSP
On Casting of Second Floor Roof Slab	:	10% of BSP
On Casting of Third Floor Roof Slab	:	10% of BSP
On Start of Internal Plaster	:	10% of BSP
On Start of Flooring	:	05 % of BSP
On Offer of Possession	:	05% of BSP+ Stamp Duty, Registration & Other Charges (if Any)

GST will be extra as per applicable


19. जाँच-सूची (CHECK LIST)

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को आवश्यक जाँच लें।

CHECK LIST (जाँच-सूची)

1. आवेदन-पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है?
2. आवेदन-पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदको के हस्ताक्षर हैं?
3. बुकिंग घनराशि का बैंक सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है?
4. आवेदक की आय के साक्ष्य तथा आरक्षण कोटे के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है?
5. मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है?
6. शपथ-पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी से सत्यापित है?

साइट प्लान



PROPOSED E.W.S. UNIT LAYOUT AT OMAXE ETERNITY, VRINDAVAN



10.764 sq.ft. = 1 sq.mtr.

TYPICAL FLOOR PLAN
SALABLE AREA / UNIT - 370 SQ.FT
CARPET AREA / UNIT - 223 SQ.FT

PROPOSED L.I.G. UNIT LAYOUT AT OMAXE ETERNITY, VRINDAVAN



10.764 sq.ft. = 1 sq.mtr.

TYPICAL FLOOR PLAN
SALABLE AREA / UNIT - 575 SQ.FT
CARPET AREA / UNIT - 438 SQ.FT

Specifications

(दुर्बल आय वर्ग)

Location	Floor/painting	Door/window	Other
Drawing Room, Bedroom	• Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	
Kitchen	• Ceramic floor Tiles • OBD • 600 mm Dado with cement punning	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with CC kitchen top
WC, Bath	• Ceramic floor Tiles • C.C. Dado upto 900 mm • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	• W.C. Western / Indian type with one tap • one tap in bath
Balcony/Varandah	• Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure		
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point		
Exterior	Cement Based Exterior Paint		

Specifications

(अल्प आय वर्ग)

Location	Floor/painting	Door/window	Other
Drawing Room, Bedroom	• Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	
Kitchen	• Ceramic floor Tiles • OBD • 600 mm Dado with cement punning	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with Kota/Marble kitchen top
Toilets	• Ceramic floor Tiles • C.C. Dado upto 1200 mm • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	Western / Indian W.C/E.W.C with wash basin
Balcony/Varandah	• Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure		
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point		
Exterior	Cement Based Exterior Paint		

रु.10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)
शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी उम्र वर्ष
पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी शपथ पूर्वक
बयान करता/करती हूँ:

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण-पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में मवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/मवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/मवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त कम्पनी को दूँगा/दूँगी।
4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/मवन नहीं है।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तिय वर्ष में समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय रु0...../- थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
6. मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन:-

मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

1. योजना का नाम
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) 1. 2.
(अंग्रेजी में) 1. 2.
3. पिता/पति का नाम 1. 2.
4. आयु 1. 2. (संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जाये)
5. पता (अ) वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु)
पिनकोड टेलीफोन नं0.....
(ब) स्थायी पता
पिनकोड टेलीफोन नं0.....
6. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें)
(आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
बैंक का नाम शाखा का नाम.....
खाता नं. आई एफ एस सी कोड.....
8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण, दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)/अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)
पंजीकरण धनराशि रू0..... (शब्दों में).....
शाखा..... पता.....
9. आवेदक का व्यवसाय..... वार्षिक आय..... प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)
10. आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण -

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

नाम	आयु	सम्बन्ध
1.
2.
3.
4.

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को जो शासनादेश संख्या-..... में दिए गए हैं को भली-भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं/हम ये भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदकों/आवेदक के हस्ताक्षर
संलग्नक :

1.
2.
3. 1. नाम
4. 1. नाम

दिनांक

बैंक के प्रयोग हेतु

ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम/शाखा.....
धनराशि रू0..... विकासकर्ता कम्पनी के खाते में धनराशि जमा होने की तारीख.....

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोग हेतु

पंजीकरण का दिनांक आवंटित पंजीकरण संख्या..... आवंटित भवन संख्या.....
आवंटन पत्र संख्या..... एवं निर्गत होने की तिथि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम स्पष्ट अक्षरों में

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

घोषणा-पत्र

1. मैं / हम भारत का नागरिक हूँ / हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति / पत्नी तथा आश्रित / अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री) के पास वृंदावन नगर में, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद् / अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भवन / भूखण्ड नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड / भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुमाने / दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ले।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा / करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।
7. मैंने शासनादेश संख्या 5899 दिनांक / / 201..... में निर्धारित शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा उसके अधीन इस योजना में भवन प्राप्त करने की अर्हता रखता हूँ।


साक्षी

आवेदक के हस्ताक्षर



नंद एवं बृज

(ई. डब्ल्यू. एस.) (एल. आई. जी.)





For details:

Vrindavan: 96273 77774, 97200 02893

Agra: 99273 66667, 99999 99804

Kanpur: 88530 00159, 77050 02411

Delhi: 99999 99424

Corporate Office: OMAXE LTD. 7, LSC, Kalkaji, New Delhi 110 019 (India). Tel.: +91-11-41896680, 46066333

Site Office: Omaxe Eternity, Chhatikara Road, Vrindavan

SMS 'OMAXE VRD' to 56677 E-mail: sales@omaxe.com Website: www.omaxe.com